(करमजीत सिंह, ज.)

रितु बाहरी और कर्मजीत सिंह ज. ज. के सामने

अब्दुल वाहिद-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

सी. आर. ए.-डी.-153-डी. बी.-2015

23 दिसंबर, 2021

भारतीय दंड संहिता 1860- धारा 498-ए, 302,120-बी; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 106-विवाह के 13 साल बाद पानी की टंकी में गिरने से पीड़ित की मृत्यु-उसके पिता द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।दोषसिद्धि के विरुद्ध पति की अपील की अनुमति-संदेह का लाभ दिया गया।पति-सी. आर. पी. एफ. में काम करता है-सुदूर स्थान पर तैनात-यह असंभव है कि वह दहेज की मांग करते हुए शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम-लागू नहीं।उद्देश्य की अनुपस्थिति में साक्ष्य के मामले में महत्वपूर्ण।

माना जाता है कि कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि अपीलकर्ता सी.आर.पी.एफ में काम कर रहा था और उसे कर्तव्य से बाहर के लिए तैनात किया गया था और उसने केवल 25.10.2011 की छुट्टी का लाभ उठाया था और जबकि अफसाना की मृत्यु 27.10.2011 पर हुई थी।इन परिस्थितियों में यह अत्यधिक असंभव है कि विचाराधीन घटना से पहले, अपीलकर्ता दहेज की मांग के कारण मृतक का लगातार शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था।

(पैरा 38)

आगे कहा कि न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अपीलकर्ता बिहार में तैनात था सामान्य रूप से अपनी पत्नी के साथ गांव सलहेरी में नहीं रह रहा था। अदालत में किसी ने यह नहीं कहा है कि रात में 26/27.10.2011 के बीच की कथित घटना से पहले, मृतक को अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि साक्ष्य अधिनियम की **धारा** 106 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर सख्त अर्थों में लागू नहीं होते हैं।यह सामान्य नियम है कि एक आपराधिक मामले में आरोपी के अपराध सबूत का लाने बोझ ओर दोशी को सजा दिलाने हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और साक्ष्य अधिनियम की **धारा** 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है।

(पैरा 45)

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य बहुत महत्वपुर्ण और आवश्यक रखता है।उद्देश्य की अभाव न्यायालय को सतर्क कर देगी और उसे के प्रत्येक भाग की बहुत बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित करेगी।

ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संदेह, अनुमान या भावनाए प्रमाण की जगह नहीं लेते हैं, बहुत बारीकी से साक्ष्य।हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष घटना के उद्देश्य की उत्पत्ति को स्थापित करने में विफल रहा है।इस प्रकार अभियोजन पक्ष की कहानी को और संदिग्ध बना देता है।

(पैरा 46)

आगे कहा गया है किया कि उपरोक्त के विश्लेषण में, हमारा विचार है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में कई ग़ायब कडिया हैं, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए भरोसा किया गया है।इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

(पैरा 47)

प्रतिकूल/बयान से मुकरा हुआ गवाह-गवाही को पूरी तरह से त्याग नहीं दिया जा सकता है-जो विश्वास को प्रेरित करता है-अन्य स्रोतों द्वारा पुष्टि की जा सकती है।

यह भी कहा गया कि हम प्रतिकूल/बयान से मुकरे हुए गवाहों के संबंध में कानूनी स्थिति का उल्लेख करना उचित समझते हैं।प्रतिकूल/बयान से मुकरा हुआ गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रतिकूल/बयान से मुकरा हुआ गवाह की गवाही का हिस्सा, जो विश्वास को प्रेरित करता है, का उपयोग किया जा सकता है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य स्रोतों से पुष्टि पाने वाले प्रतिकूल/बयान से मुकरा हुआ गवाह की गवाही पर विश्वास किया जा सकता है।

(पैरा 37)

चिकित्सा साक्ष्य-मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड की लिखित में अंतिम राय, जांच अधिकारी द्वारा कभी नहीं मांगी गई-एक डॉक्टर के मौखिक बयान को छोड़कर, निचली अदालत के समक्ष कभी भी बोर्ड की कोई सामूहिक अंतिम राय नहीं रखी गई-जिसे व्यक्तिगत राय माना जाता है, इसे तीन डॉक्टरों के बोर्ड की सामूहिक राय नहीं कहा जा सकता है।पकड़ने के लिए अपर्याप्त-मृतक की मौत गला घोंटने के कारण हुई।

यह भी कहा गया कि चिकित्सा साक्ष्य स्थापित आदेश के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह -1 डॉ. पंकज वत्स की जांच की, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 साबित की। उक्त चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार अफसाना के शव का पोस्टमार्टम सी.एच.सी., नूंह में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा 28.10.2011 पर किया गया था। अभियोजन गवाह-1 उक्त मेडिकल बोर्ड का सदस्य था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एफ.एस.एल मधुबन और विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.एम.एस रोहतक से रिपोर्ट मिलने तक मौत के कारण रोक दिया गया था। एफ. एस. एल. मधुबन दिनांक 21.3.2012 दस्तावेज पी. एच. की रिपोर्ट के अनुसार। मृतक के विसरा में में कोई जहर नहीं पाया गया।

एफएसएल की रिपोर्ट के दस्तावेज पी.जी, दिनांक 23.2.2012 के अनुसार, मृतक की ह्यूमरस हड्डी में डायटम का पता नहीं चल सका। विकृति विज्ञान विभाग पी. जी. आई. एम. एस. रोहतक के पी. एक्स. दिनांक 21.12.2011 ने कहा कि मृतक के दिल में कोई महत्वपूर्ण विकृति विज्ञान परिवर्तन नहीं पाए गए। राज्य का अधिवक्ता मृतक अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में संबंधित डॉक्टरों के बोर्ड जिसने पोस्टमॉर्टम जांच की द्वारा दी गई किसी भी अंतिम सामूहिक राय को प्रस्तुत करने/दिखाने में विफल रहा, । दलीलों के दौरान राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में लिखित रूप में ऐसी कोई सामूहिक राय निचली अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में, उपरोक्त रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद, पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले संबंधित डॉक्टरों के बोर्ड ने मृतक अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में लिखित रूप में अपनी सामूहिक राय नहीं दी थी।हालांकि, उक्त मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक अभियोजन गवाह-1 ने गवाह-बॉक्स में पेश होते हुए कहा कि इस मामले में मौत का कारण डूबना और महत्वपूर्ण गला घोंटना था जो प्रकृति में मोत से पहले था और जीवन के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड की लिखित में अंतिम राय जांच अधिकारी द्वारा इस मामले में कभी नहीं मांगी गई थी और मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में अभियोजन गवाह -1 के उपरोक्त मौखिक बयान के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टरों के बोर्ड की ऐसी कोई सामूहिक अंतिम राय कभी भी निचली अदालत के समक्ष नहीं रखी गई थी।हमारा विचार है कि अभियोजन गवाह-1 द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में दी गई उपरोक्त मौखिक राय उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है।इसे तीन डॉक्टरों के बोर्ड की सामूहिक राय नहीं कहा जा सकता है जिसे वर्तमान मामले में शव परीक्षण करने के लिए गठित किया गया था।ऐसी संभावना है कि मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में मेडिकल बोर्ड के अन्य दो सदस्यों का विचार अभियोजन गवाह-1 से अलग हो सकता है।यह आसानी से देखा जा सकता है कि अभियोजन गवाह-1 ने मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों से परामर्श किए बिना जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था अदालत में अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में गवाही दी, ।इस प्रकार न्यायालय में अभियोजन गवाह -1 द्वारा केवल यह कहना कि इस मामले में मृत्यु का कारण डूबना था और महत्वपूर्ण गला घोंटना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी।

(पैरा 39)

ए. पी. एस. देओल, वरिष्ठ अधिवक्ता, विशाल रतन लांबा, अधिवक्ता के साथ, अपीलकर्ता के लिए।

अंकुर मित्तल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा सौरभ मागो, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा के साथ।

(कर्मजीत सिंह, ज.)

(1) अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा यह आपराधिक अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेवात द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 15.12.2014/20.12.2014 के विरुद्ध दायर की गई है। सत्र केश संख्या 84/2012/2013 (राज्य बनाम अब्दुल वाहिद) में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 302/102-बी के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्या 576 दिनांक 28.10.2011 पुलिस स्टेशन नूंह में, आरोपी अपीलकर्ता अब्दुल वाहिद को आईपीसी की धारा 302 और 498-ए के तहत दोषी ठहराया गया और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें आईपीसी की धारा 498-ए के तहत एक साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। दोनों महत्वपूर्ण सजाएं एक साथ चलनी थीं

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियोजन गवाह-2 दिनांक 27.10.2011 पर शिकायतकर्ता-हुसैन खान का बेटा रफीक निवासी मुबारिकपुर (रावलकी) गांव के, इंस्पेक्टर/एसएचओ गजेंद्र कुमार (अभियोजन गवाह-14) से मिला और इस आशय की शिकायत (दस्तावेज़ PW 1) दर्ज कराई कि उसकी बेटी अफसाना की शादी लगभग 13 साल पहले आरोपी-अब्दुल वाहिद से हुई थी और शादी के समय उसने आरोपी को अपनी क्षमता से अधिक दहेज दिया था।हालांकि, आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्य इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने और दहेज की मांग की।शिकायतकर्ता समय-समय पर उनकी मांगों को पूरा करता रहा। जब शिकायतकर्ता ने उनकी कुछ मांगों को पूरा नहीं किया, तो आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।मार्च, 2006 से नवंबर, 2006 के महीने में, आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रुपए, 70,000/- की मांग के कारण, विवाद को हल करके, अफसाना को उसके वैवाहिक घर में पुनर्वासित करने के लिए पंचायतें बुलाई गईं।नवंबर, 2006 में शिकायतकर्ता ने पंचायत में आरोपी को रुपए, 70,000/- की राशि दी, जिस पर आरोपी अफसाना को अपने साथ अपने घर वापस ले गया। उनकी दूसरी बेटी राजिया की शादी 19.11.2011 के लिए तय की गई थी और शिकायतकर्ता उसकी शादी में कार देना चाहता था।जब आरोपी को इस तथ्य के बारे में पता चला, तो उसने (आरोपी) अपने परिवार के अन्य सदस्यों जमील, जमशेद, साहिद और परमीना के साथ कार और 4 लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दिया।अफसाना ने शिकायतकर्ता को अपने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की गई उपरोक्त मांग के बारे में बताया।लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अफसाना को परेशान और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।27.10.2011 पर लगभग 7 बजे सुबह. में, शिकायतकर्ता को आरोपी-अब्दुल वाहिद से इस आशय का एक टेलीफोन कॉल आया कि अफसाना पानी की टंकी में गिर गया और उसने शिकायतकर्ता

तुरंत अपने गाँव सलहेरी पहुँचें। शिकायतकर्ता सलहेरी गाँव पहुँचा और उसे पता चला कि उसकी बेटी अफसाना की हत्या आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने की है।आरोपी अब्दुल वाहिद ने भी गाँव की पंचायत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

(3) अभियोजन गवाह-14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने उपरोक्त शिकायत दस्तावेज पी. बी. पुलिस स्टेशन में भेजी. और इसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट . दस्तावेज /पी. बी./2 को आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 272,498-ए/120-बी के तहत दर्ज किया गया था।

(4) इससे पहले दिनांक 27.10.2011 को अभियोजन गवाह-3 सहायक उपनिरीक्षक बाचू सिंह को अफसाना के डूबने के बारे में टेलीफोन पर संदेश मिला और वह घटना स्थल पर पहुंचे, जहां शाहिद पुत्र अतर खान ने उनसे मुलाकात की और अपना बयान दस्तावेज /पी सी दर्ज कराया। अभियोजन गवाह-3 सहायक उपनिरीक्षक बाचू सिंह ने पूछताछ की।उक्त पुलिस अधिकारी ने अफसाना के शव की जाँच रिपोर्ट दस्तावेज.PA/4 भी तैयार की, जिसकी पहचान आसू और ताहिर ने की थी।पानी की टंकी और शव दस्तावेज.P2 से दस्तावेज.P4 की तस्वीरें अभियोजन गवाह-12 साबिर द्वारा ली गई थीं।पुलिस के अनुरोध दस्तावेज.PA/2 के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था।

(5) अभियोजन गवाह-1 पंकज वत्स, डॉ. प्रदीप मंगला और डॉ. तिरलोक सिंह यादव नामक तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पर अफसाना के शव का पोस्टमार्टम किया गया।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 है। पी.जी.आई.एम.एस रोहतक के एफ.एस.एल मधुबन और विकृति विज्ञान विभाग से रिपोर्ट मिलने तक मौत के कारण के बारे में राय प्रास्थगन कर दिया गया था।

(6) उसी दिन, यानी 28.10.2011 अभियोजन गवाह-14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और इसकी नक्सा मोका नज़री दस्तावेज.PW14/A तैयार की और अभियोजन गवाह के बयान भी दर्ज किए। आरोपी को पुलिस ने 2.11.2011 पर गिरफ्तार किया था।अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, 2.11.2011 पर पुलिस हिरासत में रहते हुए, आरोपी को अपनी पत्नी अफसाना की हत्या में अपनी संलिप्तता के बारे में अभियोजन गवाह-14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार के सामने अभियोजन गवाह-6 अल्ताफ और अभियोजन गवाह-17 अहमद की उपस्थिति में फ़र्ज़ इन्साफ़ PW14/B का सामना करना पड़ा।अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में रहते हुए, आरोपी को अभियोजन गवाह-7 इलियास और अभियोजन गवाह-8 हुसैनदीन की उपस्थिति में अभियोजन गवाह-14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार के सामने एक और खुलासा बयान का सामना करना पड़ा और उसके अनुसरण में, उसने आरोपी द्वारा अपनी पत्नी का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किया गया एक 'दुपट्टा' बरामद किया।उक्त 'दुपट्टा' को पुलिस ने अभियोजन गवाह.-9 ई. एच. सी. सतबीर सिंह, पी. डब्ल्यू.-7 इलियास और अभियोजन गवाह.-8 हुसैनदीन की उपस्थिति में मेमो दस्तावेज.PW9/A के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया।उपरोक्त वसूली के स्थान की मोका नक्सा नजरी दस्तावेज.PW-14/D है, जो थी।

अभियोजन गवाह -14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार द्वारा तैयार किया गया।

(7) जाँच के दौरान मोबाइल फोन नंबर 9798022588 और 9728824241 के कॉल विवरण रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया गया।मृतक की विसरा और ह्यूमरस हड्डी को उनकी जांच के लिए क्रमशः एफ.एस.एल और पी.जी.आई.एम.एस, रोहतक भेजा गया था।

(8) जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।दोषी ठहराए जाने पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 302 और 498-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का दावा किया।

(9) अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी 20 गवाहों से पूछताछ की और सरकारी अधिवक्ता ने ऊतकविकृतिविज्ञान दस्तावेज- पी. एक्स. की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया।

(10) संक्षेप में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य इस प्रकार हैः-

(11) अभियोजन गवाह -1 डॉ. पंकज वत्स ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज PA/1 साबित की जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं।पोस्टमॉर्टम जांच में निम्नलिखित पाया गयाः-

ए। शरीर की लंबाई 160 सेंटीमीटर, एक युवा वयस्क महिला का मृत शरीर, मध्यम रूप से पोषित और निर्मित।

बी। मुँहः- मोटा, मुँह से निकलने वाला कोपियस झाग, सफेद रंग का, छाती को दबाने पर और अधिक झाग निकलता रहता है।

ग. नाकः- मिश्रित रक्तस्रावी तरल पदार्थ, जो दो नासिकाओं से निकलता है।

घ. बंधन का चिह्नः- गर्दन के ऊपर मौजूद, जिसमें गर्दन का पूर्ववर्ती और पार्श्व पहलू शामिल है, थायराइड उपास्थि से 18 सेंटीमीटर ऊपर बंधन की लंबाई, अनुप्रस्थ रूप से चल रही है, चौड़ाई-1 सेंटीमीटर, बाएं कान के लोब से निरंतर 6 सेंटीमीटर और दाहिने कान के लोब से 8 सेंटीमीटर।गर्दन के चारों ओर कोई बंधन नहीं मिला, न ही पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया।चारों अंगों में कठोर मृत्यु होती है, लेकिन गर्दन में नहीं।पीठ के निचले हिस्से में पोस्टमॉर्टम में चमक दिखाई देती है।गर्दन के विच्छेदन पर, लिगचर निशान सतही रूप से-गहराई से भीड़भाड़ वाला और अंतर्निहित नरम ऊतक धब्बेदार पाया जाता है।थायराइड हड्डी, थायराइड उपास्थि बरकरार पाई गई।

ई. चोटः-

(1) बाएं सुप्रा क्लैविक्युलर क्षेत्र पर लगभग 4*1 सेमी का घाव, चिकित्सीय पहलू, संयुक्ताक्षर

चिह्न से 3 सेमी कम

(2) गर्दन के बाईं ओर लगभग 0.5x2 सेमी आकार के खरोंच और गर्दन के बाईं ओर तीन नुकीले खरोंच के निशान।कोई अन्य चोट नहीं देखी गई।

(3) फुस्फुस का आवरण - सेहतमंद

(4) स्वरयंत्र और श्वासनलीः- विच्छेदन पर रक्तस्रावी झाग पाया गया।

(5) दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ाः- फेफड़े द्वीपक्षीय रूप से विशाल, अलग-अलग फैले हुए, पेरिकार्डियम के अधिकांश हिस्से को ढकते हुए, पानी जमा होता है, किरकिरा सनसनी, विच्छेदन पर रक्त के साथ मिश्रित सफेद रंग का झाग देखा जाता है, फुफ्फुसीय गुहा में कोई मुक्त तरल पदार्थ नहीं देखा जाता है।

(6) पेरिकार्डियम, हृदय, बड़ी वाहिकाएँः- स्वस्थ, हृदय के बाईं ओर गहरे लाल रंग का रक्त पाया गया।

(7) पीढ़ी का अंगः- स्वस्थ और अक्षत, गर्भाशय-12x8 से. मी., गंभीर, विच्छेदन पर, भ्रूण के साथ गर्भकालीन थैली पाई गई, जिसे गर्भाशय से सील कर दिया गया।

(8) अन्य अंगः- स्वस्थ पाया गया।

(12) अभियोजन गवाह -2 रफीक अहमद, शिकायतकर्ता ने शिकायत दस्तावेज-.PB साबित की जो उसके द्वारा आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई थी।उन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोपों को दोहराया, जैसा कि शिकायत दस्तावेज-.PB और प्रथम सूचना रिपोर्ट दस्तावेज-PB/2 में बताया गया है।

(13) अभियोजन गवाह -3 उप पुलिस अधिकक्ष बाचू सिंह, जिन्हें 27.10.2011 पर घटना की जानकारी मिली और वे मौके पर पहुंचे, उन्होंने जांच रिपोर्ट दस्तावेज PA/4 और पुलिस अनुरोध दस्तावेज PA/2 को साबित किया और आगे कहा कि पोस्टमॉर्टम जांच के बाद संबंधित डॉक्टर ने उन्हें विसरा युक्त एक सीलबंद पार्सल, हड्डी वाला एक और सीलबंद पार्सल सौंप दिया, जिसे उन्होंने आगे इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार को सौंप दिया।

(14) अभियोजन गवाह -4 उप पुलिस अधिकक्ष जगदीश चंद और अभियोजन गवाह -5 मुख्य सिपाही मोहम्मद।हारून ने अपने विभाग द्वारा अभियुक्त की छुट्टी बढ़ाने के संबंध में प्राप्त वायरलेस संदेश से संबंधित ज्ञापन दस्तावेज.PW4/A को साबित किया।

(15) अभियोजन गवाह -6 अल्ताफ, अभियोजन गवाह -7 इलियास और अभियोजन गवाह -8 हुसैनदीन ने कहा कि अफसाना गलती से पानी की टंकी में गिर गई।उन तीनों को शत्रु घोषित कर दिया गया।उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।यहां तक कि अभियोजन गवाह -17 अहमद को भी प्रतिकुल /बयान से मुकरे घोषित किया गया था।

(16) अभियोजन गवाह -12 साबिर, फोटोग्राफर ने पानी की टंकी और शव की तस्वीरें दस्तावेज.P2 से दस्तावेज P4 साबित कीं, जो उनके द्वारा डिजिटल कैमरा के साथ ली गई थीं।

(17) अभियोजन गवाह -14 इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार, जांच अधिकारी ने पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दस्तावेज पी. बी./2 साबित की।, मोका नक्सा नज़री दस्तावेज.PW14/A, दोषी का फर्द ईन्साफ दस्तावेज.PW14/B, दस्तावेज.PW14/C, फर्द बरामदगी 'दुपट्टा' दस्तावेज.PW9/A नक्सा मोका नज़री की वसूली स्थान दस्तावेज.PW14/D की मोका नक्सा नज़री ।

(18) अभियोजन गवाह-9 अ.मु.सिपाही सतबीर सिंह ने फर्द बरामदगी दस्तावेज.PW9/A को इसका प्रमाणित गवाह साबित किया।उन्होंने 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 को भी साबित किया।

(19) अभियोजन गवाह -10 मु.सिपाही विक्रम सिंह ने आरोपी के मोबाइल फोन No.9798022588 के कॉल विवरण रिकॉर्ड दस्तावेज.PW10/C और दस्तावेज.PW10/B और मनराम के बेटे संजय कुमार के मोबाइल फोन No.9728824241 को साबित किया, जिन्हें पुलिस ने ज्ञापन दस्तावेज.PW10/A के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया था।

(20) अभियोजन गवाह -11 सिपाही. महेश ने विशेष रिपोर्ट देने के संबंध में गवाही दी, जबकि अभियोजन गवाह -13 मु.सिपाही अमित ने अपना शपथ पत्र दस्तावेज.PW13/A प्रस्तुत किया। अभियोजन गवाह -15 मु.सिपाही धरम पाल ने घटना स्थल का नक्शा स्केली दस्तावेज.PW-15/A साबित किया, जो उनके द्वारा तैयार किया गया था। अभियोजन गवाह -16 मु.सिपाही उमर मोहम्मद ने अपना शपथ पत्र दस्तावेज.PW16/A प्रस्तुत किया। अभियोजन गवाह -18 सिपाही. रविंदर कुमार ने अपना शपथ पत्र दस्तावेज.PW18/A प्रस्तुत किया। अभियोजन गवाह -19 मु.सिपाही किशन लाल ने अपना शपथ पत्र दस्तावेज.PW19/A प्रस्तुत किया। अभियोजन गवाह -20 एस. के. पांडे, हवलदार, 153 बटालियन, सीआरपीएफ मोतिहारी, बिहार ने आरोपी द्वारा 28.10.2011 से 11.11.2011 की अवधि के लिए आकस्मिक छुट्टी का लाभ उठाने के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया।उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजों को दस्तावेज.PW20/A से दस्तावेज.PW20/F साबित किया और आगे कहा कि आरोपी 25.10.2011 (गलत तरीके से 25.9.2011 के रूप में लिखा गया) पर कार्यालय से चला गया।अभियोजन पक्ष ने एफएसएल, दस्तावेज.PG, दस्तावेज.PH और विकृति विज्ञान विभाग पीजीआईएमएस रोहतक एक्स की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कीजो कि दस्तावेज पी. एक्स. है

(21) इसके बाद आरोपी से धारा 313 दन्ड प्रकिया सहिता के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया।उन्होंने बेगुनाही का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।हालांकि, आरोपी ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया था।

(22) अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री के मूल्यांकन के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि इस फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में कहा गया है।

(23) अपेक्षित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

(24) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय, अपीलकर्ता सीआरपीएफ में काम कर रहा था और बिहार में तैनात था ।

(करमजीत सिंह, ज.)

मृतक अफस्ना सलहेरी गाँव में अपने वैवाहिक घर में रह रही थी।कथित घटना के समय अपीलकर्ता गाँव में मौजूद नहीं था।वास्तव में, अपीलकर्ता छुट्टी का लाभ उठाने के लिए बिहार में अपने मुख्यालय से 25.10.2011 पर निकला, जैसा कि अभियोजन गवाह -20 (सीआरपीएफ के अधिकारी) की गवाही से स्पष्ट है और वह दिल्ली पहुंचा और फिर अपने गांव के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसे देर हो गई और इस तरह रात के बीच में वह अपने दोस्त के साथ पड़ोसी गांव सलाम्बा में रहा। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दुर्भाग्य से 27.10.2011, सुबह, अफसाना गलती से फिसल गई और पानी की टंकी में गिर गई जो अपीलकर्ता के घर से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थी, जहाँ वह पानी लेने गई थी।

(25) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए और भा.दं.सं. सी. की धारा 303 के तहत आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। मान लीजिए, अपीलकर्ता ने घटना से लगभग तेरह साल पहले अफसाना से शादी की थी और उनके दो बच्चे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, शादी के बाद, अपीलकर्ता अपनी पत्नी अफसाना को परेशान करता था और उसने वर्ष 2006 में शिकायतकर्ता से 70,000 रुपये की मांग भी की थी और अंत में विवाद का समाधान किया गया क्योंकि शिकायतकर्ता ने पंचायत की उपस्थिति में आरोपी को उपरोक्त राशि का भुगतान किया था। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी बेटी के कथित उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान घटना से पहले कभी भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।यह आगे तर्क दिया जाता है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं गवाह-प्रपत्र में उपस्थित होते हुए स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी अफसाना के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी और यह तथ्य दुर्व्यवहार और दहेज की मांग के उपरोक्त आरोपों को झुठलाता है।अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपनी अगली प्रतिपरीक्षा तिथि 4.7.2013 में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बेटी अफस्ना को दहेज की मांग के कारण आरोपी द्वारा कभी परेशान नहीं किया गया था।यहां तक कि अन्य निजी गवाहों जैसे अभियोजन गवाह -6 अल्ताफ, अभियोजन गवाह -7 इलियास, अभियोजन गवाह -8 हुसैनदीन और अभियोजन गवाह -17 अहमद ने भी ऐसा कहा और उन्हें प्रतिकुल /बयान से मुकरे प्रतिकुल/बयान से मुकरे घोषित कर दिया गया।

(26) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष भी अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर है।

अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनमें संबंध नहीं हैं और वे अपीलकर्ता के अपराध की ओर बिल्कुल भी इशारा नहीं करते हैं।अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 के अनुसार, अफसाना के शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किया गया था और मृत्यु के कारण के बारे में अंतिम राय एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रखी गई थी। एफ.एस.एल दस्तावेज.PH की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के विसरा में कोई जहर नहीं पाया गया था।यह आगे तर्क दिया जाता है कि एफएसएल की उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में उक्त डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा लिखित रूप में कोई अंतिम राय नहीं दी गई थी।अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में अभियोजन गवाह -1 द्वारा गवाह-प्रपत्र में इस आशय की राय दी गई है कि मृतक की मृत्यु डूबने और महत्वपूर्ण गला घोंटने के कारण हुई है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि शिकायतकर्ता और अन्य सभी निजी गवाहों ने अदालत में कहा कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी अफसाना की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(27) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आरोपी को 2.11.2011 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे अभियोजन गवाह -6 और अभियोजन गवाह -17 की उपस्थिति में फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/B का सामना करना पड़ा और आगे अभियोजन गवाह -7 और अभियोजन गवाह -8 की उपस्थिति में फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/C का सामना करना पड़ा।कि सभी उक्त चार अभियोजन गवाह ने गवाह-पेटी में उपस्थित होते हुए अपीलकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त कथित खुलासों के बारे में तथ्य का धारान किया।

(28) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/C के आधार पर एक 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 बरामद किया। निजी गवाह, जिन्होंने उपरोक्त बरामदगी देखी, उन्हें प्रतिकुल/बयान से मुकरे घोषित कर दिया गया और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों का सारांश देते हुए आग्रह किया कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाना चाहिए।

(29) दूसरी ओर राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने गवाह-प्रपत्र में उपस्थित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण के साथ-साथ प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया जो 30.08.2012 पर दर्ज किया गया था।उन्हें 4.7.2013 पर उनकी आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया था और उस स्तर पर उन्होंने अपने पिछले बयान से पीछे हटने की कोशिश की। राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा होने के कारण, शिकायतकर्ता के पूरे बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है या उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की गवाही के अवलोकन से यह साबित होता है कि

अपीलकर्ता अपनी पत्नी अफसाना के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसने शादी के बाद दहेज और पैसे की मांग भी उठाई और 2006 में अपीलकर्ता की ऐसी ही एक मांग शिकायतकर्ता द्वारा पूरी की गई।राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान घटना से पहले भी, अपीलकर्ता ने 4 लाख रुपये और एक कार की मांग की, जब उसे पता चला कि शिकायतकर्ता अपनी छोटी बेटी राजिया की शादी में एक कार उपहार में देने को तैयार है जो 19.11.2011 के लिए तय की गई थी।यह आगे तर्क दिया जाता है कि जब शिकायतकर्ता ने उक्त मांग को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ता ने फिर से अपनी पत्नी अफसाना के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।

(30) राज्य के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के बीमार होने के बहाने 25.10.2011 पर छुट्टी पर चला गया।वह देर रात 26.10.2011 पर अपने गांव लौटा और रात को बीच में 26/27.10.2011 पर वह उसके घर में घुस गया और 'दुपट्टा' की मदद से अपनी पत्नी अफसाना की गला दबाकर हत्या कर दी, जब वह सो रही थी और फिर उसके शव को पानी की टंकी में फेंक दिया जो उसके घर के पास था। राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन गवाह -1, जो पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक की मौत गला घोंटने और डूबने से हुई थी।राज्य के अधिवक्ता ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 का भी उल्लेख किया जिसके अनुसार मृतक की गर्दन पर बंधन का निशान पाया गया था।उन्होंने जाँच रिपोर्ट दस्तावेज.PA/4 का भी उल्लेख किया जिसमें यह दर्ज किया गया था कि मृतक की गर्दन पर नीले रंग का एक निशान पाया गया था।राज्य के अधिवक्ता ने आगे फर्द ईन्साफ बयानों दस्तावेज.PW14/B और दस्तावेज.PW14/C का उल्लेख किया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की 'दुपट्टा' से गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद उसके शव को पानी की टंकी में फेंक दिया।राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 अपीलकर्ता द्वारा खुलासा किए गए स्थान से बरामद किया गया था और इसे पुलिस द्वारा मेमो दस्तावेज.PW9/A के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया गया था। राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में निचली अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने अपनी पत्नी अफसाना की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसने उसके शव को पास के पानी की टंकी में फेंक दिया।राज्य के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए प्रार्थना की कि योग्यता से रहित होने के कारण अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(31) हमने पार्टियों के अधिवक्ता द्वारा संबोधित प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।

(32) शुरुआत में, यह ध्यान दें देना उचित है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी-अपीलार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों, शहीद, जमील, जमशेद और परमीना को बुलाने के लिए मुकदमे के दौरान धारा 319 दण्ड प्रकिया सहिता के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन निचली अदालत

ने 14.5.2013 दिनांक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

(33) इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने विचाराधीन घटना से लगभग 13 साल पहले अभियोजन गवाह-2 रफीक की मृत बेटी अफसाना से शादी की थी।उक्त विवाह से उनके दो बच्चे थे।इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था और घटना के समय वह बिहार में तैनात था। दस्तावेज़ों दस्तावेज. PW20/A से दस्तावेज. PW20/F के साथ अभियोजन गवाह-20 की गवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने 28.10.2011 से 11.11.2011 तक छुट्टी ली और वह उक्त छुट्टी का लाभ उठाने के लिए 25.10.2011 पर कार्यालय से रवाना हुआ।

(34) मान लीजिए कि घटना के समय मृतक अफसाना अपीलकर्ता अब्दुल वाहिद के पैतृक स्थान सलहेरी गाँव में अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। यह रिकॉर्ड में आया है कि सुबह 27.10.2011 पर पानी की टंकी से अफसाना का शव मिला था।उक्त पानी की टंकी सलहेरी गाँव में अपीलकर्ता के घर से सिर्फ 10 फ़ीट की दूरी पर थी। उक्त स्थान का मोका नक्शा नजरी दस्तावेज.PW14/A है जिसे जाँच अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था। उक्त स्थल की नक्शा स्केली योजना दस्तावेज.PW15/A है जिसे अभियोजन गवाह -15 द्वारा तैयार किया गया था।

(35) कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था।पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।ऐसे मामले में आरोप स्थापित करने के लिए, पूरे साक्ष्य को निर्णायक रूप से आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए।

(36) निचली अदालत में, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह -2 रफीक की गवाही पर भरोसा किया ताकि यह स्थापित किया जा सके कि अफसाना को उसके वैवाहिक घर में दहेज की मांग के कारण क्रूरता का सामना आदेशना पड़ा था और जब अपीलकर्ता द्वारा की गई दहेज की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो अपीलकर्ता ने अफसाना की गला दबाआदेश हत्या आदेश दी और फिर उसके शव को पास के पानी की टंकी में फेंक दिया।अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह -1 की गवाही के रूप में चिकित्सा साक्ष्य पर भी भरोसा किया जिसमें उक्त डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 साबित की और आगे कहा कि अफसाना की मौत गला घोंटने और डूबने से हुई।अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए फर्द ईन्साफ बयानों दस्तावेज.PW14/B और दस्तावेज.PW14/C पर भी भरोसा किया।अपीलकर्ता के खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अन्य परिस्थिति पर भरोसा किया गया, वह यह है कि फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/C के आधार पर, अपीलकर्ता ने 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 बरामद किया, जिसका उपयोग उसने अपनी पत्नी अफसाना का गला घोंटने के लिए किया था।

(37) परीक्षण के दौरान अभियोजन गवाह-6, अभियोजन गवाह-7, अभियोजन गवाह-8 और अभियोजन गवाह-17 को प्रतिकुल/बयान से मुकरे घोषित किया गया था। हम प्रतिकुल/बयान से मुकरे गवाहों के संबंध में कानूनी स्थिति का उल्लेख करना उचित समझते हैं। प्रतिकुल/बयान से मुकरे गवाह की गवाही को वास्तव में खारिज नहीं किया जा सकता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रतिकुल/बयान से मुकरे गवाह की गवाही का हिस्सा, जो विश्वास को प्रेरित करता है, का उपयोग किया जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य स्रोतों से पुष्टि पाने वाले प्रतिकुल/बयान से मुकरे गवाह की गवाही पर विश्वास किया जा सकता है।इस संदर्भ में उल्लेख पंडप्पा हनुमप्पा हनमर बनाम कर्नाटक राज्य किया में जाए कि तत्काल मामले में सरकारी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अभियोजन गवाह से जिरह की गई थी।हालाँकि, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था।

(38) अभियोजन गवाह-2 की गवाही के अनुसार, 2006 में अपीलकर्ता ने उससे दहेज के रूप में Rs.70,000/- की मांग की और विवाद को निपटाने के लिए उसने पंचायत की उपस्थिति में अपीलकर्ता को उक्त राशि का भुगतान किया।दहेज की मांग के उपरोक्त आरोपों को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष उक्त पंचायत के किसी भी सदस्य से पूछताछ करने में विफल रहा।यह भी सबूत में आया है कि वर्तमान घटना से पहले, शिकायतकर्ता ने कभी भी पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण के पास इस आशय की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी कि अपीलकर्ता दहेज की मांग के कारण अफसाना के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न करता था। अभियोजन गवाह-2 ने गवाह-पेटी में पेश होते हुए स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने अफसाना की मृत्यु से लगभग 3 से 4 साल पहले उसके नाम पर चार कनाल जमीन खरीदी थी।उन्होंने अपनी गवाही में आगे स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने अफसाना की मृत्यु से लगभग 2 साल पहले उसके नाम पर एक कनाल भूखंड भी खरीदा था।अभियोजन गवाह-2 ने यह भी स्वीकार किया कि अफसाना की मृत्यु के समय उसके दोनों बच्चे मेवात मॉडल स्कूल, नूंह में पढ़ रहे थे। अभियोजन गवाह -2 ने आगे स्वीकार किया कि अभियुक्तों के अन्य भाई अलग-अलग घरों में रह रहे थे।ये सभी तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए दहेज की मांग और अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को झुठलाते हैं, विशेष रूप से जब शादी पहले से ही 13 साल की थी और अधिकांश समय अपीलकर्ता सीआरपीएफ में काम कर रहा था, वह गाँव सलहेरी में अपने पैतृक स्थान से दूर था।यहां तक कि अपनी अगली प्रतिपरीक्षा, दिनांक 4.7.2013 में, अभियोजन गवाह-2 ने कहा कि उसकी बेटी अफसाना को दहेज की मांग के कारण अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा कभी परेशान नहीं किया गया था।आश्चर्य की बात यह है कि विद्वान सरकारी अधिवक्ताने अपने पिछले बयान के साथ उसका सामना आदेश के लिए उक्त गवाह की फिर से जांच आदेश या उसे प्रतिकुल/बयान से मुकरे घोषित आदेश के लिए निचली अदालत से अनुमति नहीं मांगी थी, जो कि उसने अपनी तारीख 4.7.2013 की गवाही में जो कहा था, उससे पूरी तरह से भिन्न था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य निजी गवाह जैसे अभियोजन गवाह-6, अभियोजन गवाह-7, अभियोजन गवाह-8 और अभियोजन गवाह –17

1 (1997)10 एससीसी 197

कहीं यह नहीं कहा गया है कि मृतक अफसाना को दहेज की मांग के कारण आरोपी-अपीलार्थी द्वारा परेशान किया गया था।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत पेश करने में भी विफल रहा कि अभियोजन गवाह-2 की छोटी बेटी की शादी 19.11.2011 के लिए तय की गई थी या शिकायतकर्ता ने अपनी शादी में कार देने का वादा किया था। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता सीआरपीएफ में काम कर रहा था और दूर की जगह पर तैनात था और उसने केवल 25.10.2011 से छुट्टी का लाभ उठाया था और जबकि अफसाना की मृत्यु 27.10.2011 पर हुई थी। इन परिस्थितियों में यह अत्यधिक असंभव है कि विचाराधीन घटना से पहले, अपीलकर्ता दहेज की मांग के कारण मृतक का लगातार शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था।

(39) चिकित्सा साक्ष्य स्थापित आदेश के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह-1 डॉ. पंकज वत्स की जांच की, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दस्तावेज.PA/1 साबित की।उक्त चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार अफसाना के शव का पोस्टमार्टम सी.एच.सी, नूंह में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा 28.10.2011 पर किया गया था। अभियोजन गवाह-1 उक्त मेडिकल बोर्ड का सदस्य था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एफएसएल मधुबन और विकृति विज्ञान विभाग, पीजीआईएमएस रोहतक से रिपोर्ट मिलने तक मौत के कारण प्रास्थगन कर दिया गया था।एफएसएल मधुबन दिनांक 21.3.2012 दस्तावेज.PH की रिपोर्ट के अनुसार मृतक के विसरा में कोई जहर नहीं पाया गया था।उक्त एफएसएल की दिनांक 23.2.2012 दस्तावेज.PG रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की ह्यूमरस हड्डी में डायटम का पता नहीं लगाया जा सका।विकृति विज्ञान विभाग पीजीआईएमएस रोहतक की 21.12.2011 की रिपोर्ट दस्तावेज.PX में कहा गया है कि मृतक के दिल में कोई महत्वपूर्ण पैथोलॉजिकल परिवर्तन नहीं पाए गए।राज्य का अधिवक्ता मृतक अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में संबंधित डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा दी गई किसी भी अंतिम सामूहिक राय को प्रस्तुत करने/दिखाने में विफल रहा, जिसने पोस्टमॉर्टम जांच की। दलीलों के दौरान राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में लिखित रूप में ऐसी कोई सामूहिक राय निचली अदालत के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में, उपरोक्त रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद, पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले संबंधित डॉक्टरों के बोर्ड ने मृतक अफसाना की मृत्यु के कारण के बारे में लिखित रूप में अपनी सामूहिक राय नहीं दी थी।हालांकि, उक्त मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक अभियोजन गवाह-1 ने गवाह-पेटी में पेश होते हुए कहा कि इस मामले में मौत का कारण डूबना और महत्वपूर्ण गला घोंटना था जो पूर्व-मृत्यु प्रकृति का था और जीवन के प्राकृतिक क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा इस मामले में मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड की लिखित में अंतिम राय कभी नहीं मांगी गई थी

और मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में अभियोजन गवाह-1 के उपरोक्त मौखिक बयान को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष डॉक्टरों के बोर्ड की ऐसी कोई सामूहिक अंतिम राय कभी नहीं रखी गई थी।हमारा विचार है कि अभियोजन गवाह-1 द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में दी गई उपरोक्त मौखिक राय उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है।इसे तीन डॉक्टरों के बोर्ड की सामूहिक राय नहीं कहा जा सकता है जिसे वर्तमान मामले में शव परीक्षण करने के लिए गठित किया गया था।ऐसी संभावना है कि मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में मेडिकल बोर्ड के अन्य दो सदस्यों का विचार अभियोजन गवाह-1 से अलग हो सकता है।यह आसानी से देखा जा सकता है कि अभियोजन गवाह-1 ने अदालत में अफसाना की मौत के कारण के बारे में गवाही दी, मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों से परामर्श किए बिना जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था।इस प्रकार न्यायालय में अभियोजन गवाह -1 द्वारा केवल यह कहना कि इस मामले में मृत्यु का कारण डूबना था और महत्वपूर्ण गला घोंटना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी।

(40) अभियोजन गवाह-7 और अभियोजन गवाह-8 की गवाही के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि दोनों ने अदालत में कहा कि अफसाना गलती से 27.10.2011 पर पानी की टंकी में गिर गई।यहां तक कि मृतक के असली भाई अभियोजन गवाह-6 अल्ताफ ने भी गवाह-पेटी में पेश होते हुए कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता का अपनी बहन अफसाना की मौत से कोई लेना-देना नहीं था।इसके अलावा, अभियोजन गवाह-17 अहमद, जो मृतक के निकट संबंधी हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।यहां तक कि अभियोजन गवाह -2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांक 4.7.2013 में कहा कि वह आश्वस्त है कि आरोपी-अपीलार्थी की अफसाना की मौत में कोई गलती नहीं थी।तदनुसार हमारा विचार है कि मृत्यु के कारण के बारे में डॉक्टरों के बोर्ड की सामूहिक राय की अनुपस्थिति में में, अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी।

(41) अभियोजन गवाह-2 ने अपनी शिकायत में दस्तावेज.पी. बी. और मुख्य जाँच ने कहा कि घटना के दिन, अभियुक्त-अपीलार्थी पंचायत के सामने पेश हुआ और अपना अपराध स्वीकार कर लिया।अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा।इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पंचायत के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं की गई।अभियोजन गवाह-6, अभियोजन गवाह-7, अभियोजन गवाह-8 और अभियोजन गवाह-17 ने कहीं भी यह नहीं कहा था कि घटना के दिन अभियुक्त-अपीलार्थी ने पंचायत के समक्ष कोई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी।इसलिए इस मामले में, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कोई भी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कभी भी अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा 27.10.2011 पर पंचायत के समक्ष की गई थी।

(42) अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने के लिए कथित फर्द ईन्साफ बयानों दस्तावेज.PW14/B और दस्तावेज.PW14/C पर भी भरोसा किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी-अपीलार्थी को 2.11.2011 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसी दिन उसे अभियोजन गवाह-6 अल्ताफ और अभियोजन गवाह-17 अहमद की उपस्थिति में अभियोजन गवाह-14 के सामने खुलासा बयान दस्तावेज.PW14/B का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने स्वीकार किया कि रात के बीच में वह लगभग आधी रात को गांव सलहेरी में अपने घर पहुंचा और फिर उसने अपनी पत्नी अफसाना की गला दबाकर हत्या कर दी, जब वह सो रही थी और फिर उसके शव को पास के पानी की टंकी में फेंक दिया।हालाँकि, अभियोजन गवाह-6 अल्ताफ और अभियोजन गवाह-17 अहमद, जो उक्त फर्द ईन्साफ बयान की रिकॉर्डिंग के गवाह थे और मृतक के निकट संबंधी थे, ने अपनी गवाही में कहीं भी यह नहीं कहा कि अभियुक्त-अपीलार्थी को उनकी उपस्थिति में इस तरह के किसी भी फर्द ईन्साफ बयान का सामना करना पड़ा।

(43) अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह-7 इलियास और अभियोजन गवाह-8 हुसैनदीन की उपस्थिति में अभियोजन गवाह-14 के समक्ष 4.11.2011 पर अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से पीड़ित एक अन्य फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/C पर भी भरोसा रखा है, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार किया और 'दुपट्टा' को छिपाने के बारे में खुलासा किया, जिससे उसने अपनी पत्नी अफसाना की गला घोंटकर हत्या कर दी।अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि उक्त फर्द ईन्साफ बयान के अनुसार अभियुक्त अपीलकर्ता ने अभियोजन गवाह -7, अभियोजन गवाह -8 और अभियोजन गवाह-9 ई.मु.सिपाही एचसी सतबीर सिंह की उपस्थिति में एक 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 बरामद किया।अभियोजन गवाह-7 और अभियोजन गवाह-8 ने गवाह-पेटी में उपस्थित होते समय उपरोक्त फर्द ईन्साफ बयान और कथित बरामदगी के बारे में कुछ नहीं कहा था।इन दोनों गवाहों को प्रतिकुल/बयान से मुकरे घोषित किया गया था और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था।अभियोजन गवाह -9 की गवाही और मोका नक्शा नजरी दस्तावेज. PW14/D के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जिस स्थान से कथित 'दुपट्टा' बरामद किया गया था, वह खुली जगह थी और सभी के लिए सुलभ थी।यह भी स्पष्ट है कि 'दुपट्टा' दस्तावेज.P1 को जाँच के लिए एफ. एस. एल. नहीं भेजा गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस पर कोई खून के धब्बे थे या नहीं।इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को फर्द ईन्साफ बयान दस्तावेज.PW14/B और दस्तावेज.PW14/C का सामना करना पड़ा है या इस तरह के किसी भी फर्द ईन्साफ बयान के अनुसरण में किसी भी 'दुपट्टा' की प्रभावी वसूली हुई है।

(44) फर्द ईन्साफ विवरण दस्तावेज.PW14/B और दस्तावेज.PW14/C के अनुसार, कथित घटना की रात को आरोपी-अपीलार्थी ने अपने मोबाइल फोन से No.9798022588 वाले टेलीफोन पर अपनी पत्नी अफसाना को उसके मोबाइल फोन पर No.9728824241 वाले टेलीफोन पर कॉल किया। अभियोजन पक्ष ने उक्त दो मोबाइल फोन नंबरों के प्रासंगिक कॉल विवरण रिकॉर्ड को साबित आदेश के लिए अभियोजन गवाह-10 मु.सिपाही विक्रम सिंह से पूछताछ की।हालांकि अभियोजन पक्ष ग्राहक आवेदन पेश करने में विफल रहा।

विचारण न्यायालय में उपरोक्त दो मोबाइल फोन नंबरों से संबंधित प्रपत्र।इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र को उक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए निचली अदालत में पेश नहीं किया गया था।ऐसा होने के कारण, न्यायालय द्वारा उपरोक्त कॉल विवरण रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(45) अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि बिहार में तैनात किया जा रहा अपीलकर्ता सामान्य रूप से अपनी पत्नी के साथ गांव सलहेरी में नहीं रह रहा था।अदालत में किसी ने यह नहीं कहा है कि रात में 26/27.10.2011 के बीच की कथित घटना से पहले, मृतक को अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर सख्त अर्थों में लागू नहीं होते हैं।यह सामान्य नियम है कि एक आपराधिक मामले में आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए सबूत का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।

2019 की दाण्डिक अपीलीय No.1903, नागेंद्र साह बनाम राज्य बिहार, 14.09.2021 पर तय किया गया। निस्संदेह वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने धारा 313 दण्ड प्रकिया सहिता के तहत अपने बयान में कहा कि 26/27.10.2011 के बीच की रात को उसे देर हो गई और इस तरह वह पड़ोसी गांव सलाम्बा में अपने दोस्त के घर पर रहा। वह अपने मित्र या किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करके अपने बचाव को साबित करने में विफल रहा।इस प्रकार उसके आचरण के बारे में संदेह/संदेह पैदा होता है कि वह पड़ोसी गाँव में क्यों रहा और बीच की रात को सलहेरी गाँव में अपने घर क्यों नहीं आया।तथापि, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के दायित्व को केवल संदेह के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर कहा गया है। कानून इस तथ्य के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित है कि संदेह कितना भी मजबूत हो, यह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।प्रबल संदेह, संयोग, गम्भीर संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकते हैं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। **2010 की दाण्डिक अपीलीय Nos. 359-360, शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और दूसरे ने 11.05.2018 पर फैसला किया।**

(46) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य बहुत महत्व और महत्व रखता है।उद्देश्य की अभाव न्यायालय को सतर्क कर देगी और यह सुनिश्चित आदेश के लिए कि संदेह, भावना या अनुमान सबूत की जगह नहीं लेते हैं, साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े की बहुत बारीकी से जांच आदेश के लिए प्रेरित करेगी।हमारा विचार है कि तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष घटना के उद्देश्य की उत्पत्ति को स्थापित करने में विफल रहा है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की कहानी को और संदिग्ध बना देता है।

(47) उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में कुछ श्रृंखला चैन अनुपस्थित हैं, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए भरोसा किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

(48) नतीजतन, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेवात द्वारा पारित दिनांक 15.12.2014 और दिनांक 20.12.2014 आदेश को रद्द कर दिया जाता है।अभियुक्त-अपीलार्थी वर्तमान मामले में उसके खिलाफ बनाए गए सभी आरोपों से बरी हो जाता है।

(49) अभियुक्त-अपीलार्थी, जिसे हिरासत में बताया गया है, को जेल अधिकारियों द्वारा तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में पुलिस द्वारा उसकी आवश्यकता नहीं है।अभियुक्त-अपीलकर्ता के जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

(50) तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त होगा

Vetted by: Shiv Charan

Translator, Sessions Division, Panipat